भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1378

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का ऋणग्रस्तता

1378. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रति किसान ऋण की औसत राशि की प्रवृत्तियों और चुनौतियों को दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में किसानों के ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए सरकार द्वारा ऋण माफी, ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता योजनाओं सहित क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं; और

(ग) किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने में इन उपायों की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा सर्वेक्षण के नवीनतम एनएसएस 77वें दौर के अनुसार 2018-19 के दौरान प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की राज्यवार औसत राशि अनुबंध में दी गई है।

(ख) एवं (ग): विवरण इस प्रकार हैं:

I. सरकार पूरे भारत में संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज छूट (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण

सीमा के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, यदि अल्पकालिक ऋण संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित होती है।

एमआईएसएस के अंतर्गत, विभिन्न बैंकों से योजना के अंतर्गत प्राप्त दावों के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को धनराशि जारी की जाती है।

II. पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता: पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

III. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में 2016 से शुरू की गई है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल क्षति के खिलाफ व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना पहले से ही किसान आवेदनों के मामले में दुनिया की नंबर एक फसल बीमा योजना बन गई है। सकल प्रीमियम के मामले में, यह योजना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी योजना है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा एक्चुरियल/बायडेड प्रीमियम दर ली जाती है। लेकिन किसान को रबी और खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए क्रमशः 1.5% और 2% का अधिकतम प्रीमियम और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना होता है। एक्चुरियल/ बायडेड प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

लो.स.अता.प्र.सं.1378

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह /संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	2,45,554
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581
3	असम	16,407
4	बिहार	23,534
5	छत्तीसगढ	21,443
6	गुजरात	56,568
7	हरियाणा	1,82,922
8	हिमाचल प्रदेश	85,825
9	जम्मू और कश्मीर	30,435
10	झारखंड	8,415
11	कर्नाटक	1,26,240
12	केरल	2,42,482
13	मध्य प्रदेश	74,420
14	महाराष्ट्र	82,085
15	मणिपुर	5,551
16	मेघालय	2,237
17	मिजोरम	23,485
18	नागालैंड	1,750
19	ओडिशा	32,721
20	पंजाब	2,03,249
21	राजस्थान	1,13,865
22	सिक्किम	32,185
23	तमिलनाडु	1,06,553
24	तेलंगाना	1,52,113
25	त्रिपुरा	23,944
26	उत्तराखंड	48,338
27	उत्तर प्रदेश	51,107
28	पश्चिम बंगाल	26,452
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**10,034**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**25,629**
	अखिल भारत	**74,121**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या *587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और पशुधन जोत की स्थिति का आकलन, 2019*

*****